औरत के लिए ईद की नमाज़ सुन्नत है

[हिन्दी – Hindi – هندي]

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ صلاة العيد سنة للمرأة ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2011 - 1432

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

औरत के लिए ईद की नमाज़ सुन्नत है

प्रश्नः

क्या औरत पर ईद की नमाज़ अनिवार्य है ? और यदि अनिवार्य है तो क्या वह उसे घर में पढ़ेगी या ईदगाह में?

उत्तरः

ईद की नमाज़ औरत पर अनिवार्य नहीं है परंतु उसके हक़ में सुन्नत है, तथा वह उसे ईदगाह में मुसलमानों के साथ पढ़ेगी ; क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें इसका आदेश दिया है।

चुनाँचे सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम वगैरह में उम्मे अतिय्या रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि उन्हों ने फरमाया : ''हमें आदेश दिया गया – और एक रिवायत के शब्द यह हैं कि : हमें आदेश दिया ; अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम ने – कि हम ईदैन में किशोर लड़कियों और कुंवारी औरतों को निकालें, तथा मासिक धर्म वाली औरतों को हुक्म दिया कि वे मुसलमानों के नमाज़ पढ़ने की जगह से अलग रहें।'' इसे बुखारी (1/93) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 890) ने रिवायत किया है, तथा एक दूसरी रिवायत में है कि : ''हमें आदेश दिया गया कि हम निकलें और किशोर लड़कियों तथा कुंवारी औरतों को निकालें।'' तथा तिर्मिज़ी की एक रिवायतमे हैं कि : ''अल्लाह के पैंगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कुंवारी औरतों, किशोर लड़कियों और पर्दे में रहने वाली और मासिक धर्म वाली औरतों को ईदैन में निकालते थे, जहाँ तक मासिक धर्म वाली औरतों का संबंध है तो वे नमाज़ पढ़ने की जगह से अलग रहेंगी और मुसलमानों की दुआ में उपस्थित रहेंगी, उनमें से एक औरत ने कहा : ऐ अल्लाह के पैगंबर ! यदि उसके पास चादर न हो, आप ने फरमाया : ''तो उसकी बहने उसे अपनी चादर से उढ़ा ले।'' बुखारी और मुस्लिम इसके सही होने पर सहमत हैं। तथा नसाई की रिवायत में है कि : हफसा बिंत सीरीन ने कहा : उम्मे

अतिय्या जब भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उल्लेख करतीं तो कहतीं : मेरे बाप आप पर कुर्बान हों, तो मैं ने कहा : क्या आप ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ऐसा और ऐसा वर्णन करते हुए सुना है ? तो उन्हों ने कहा : हाँ, मेरे बाप आप पर कुर्बान हों, आप ने फरमाया : किशोर लड़कियों, कुंवारी औरतों और मासिक धर्म वाली औरतों को निकलना चाहिए और ईद तथा मुसलमानों की दुआ में उपस्थित होना चाहिए, तथा मासिक धर्म वाली औरतों को नमाज़ पढ़ने की जगह से अलग रहना चाहिए।'' इसे बुखारी (1/84) ने रिवायत किया है।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि औरतों का ईदैन की नमाज़ के लिए निकलना सुन्नते मुअक्कदह है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वे पर्दे के साथ निकलेंगी, श्रृंगार का प्रदर्शन करते हुए नहीं निकलेंगी जैसा कि दूसरें प्रमाणों से इसका पता चलता है।

जहाँ तक समझबूझ रखने वाले बच्चों के ईद और जुमा और इनके अलावा अन्य नमाज़ों के लिए निकलने का संबंध है तो यह बात प्रसिद्ध और सर्वज्ञात है और इस विषय में वर्णित बहुत से प्रमाणों के कारण धर्म संगत है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे ईशदूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, आपकी संतान और साथियों पर दया और शांति अवतरित करे।''

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद।

''फतावा स्थायी समिति'' (8/284 – 286) से उद्धृत